ज्ञापांक......4245......./अकादमी
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।

सेवा में,

पुलिस अधीक्षक,
कटिहार/किशनगंज।

राजगीर, दिनांकः– 20/10/21

विषयः– **2018 बैच के प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षकों का प्रशिक्षण के संबंध मे।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ मे कहना है कि 2018 बैच के प्रशिक्षु पुलिस अवर निरीक्षक 1. स्कंद कुमार गुप्ता अकादमी क्रमांक–1366 (कटिहार जिला), 2. अश्विनी कुमार अकादमी क्रमांक–1442 (किशनगंज जिला), एवं 3.मनीष प्रजापति अकादमी क्रमांक–1446 (किशनगंज जिला) को डुमरांव परिसर मे परीक्षा हेतु लगाये गये सी0सी0टी0वी0 कैमरा के साथ छेड़–छाड़ करने के आरोप मे डुमरांव के तत्कालीन प्रभारी पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सत्रांत परीक्षा से वंचित किया गया। इन तीनों का प्रशिक्षण कार्य दिवस पूर्ण नहीं है। इस कारण इन तीनों को अगले प्रशिक्षण सत्र के प्रशिक्षण मे शामिल किया जाता है एवं अगले प्रशिक्षण सत्र के प्रशिक्षुओं के सत्रांत परीक्षा मे इनलोगों को शामिल किया जाएगा। प्रशिक्षण प्रारंभ होने की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी।

प्रशिक्षण प्रारंभ होने की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी।

इसमें अपर पुलिस महानिदेशक सह निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर का अनुमोदन प्राप्त है।

20/10/21

सहायक निदेशक(प्रशासन),
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।

प्रतिलिपिः–

1. अपर पुलिस महानिदेशक सह निदेशक, बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर को कृपया सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना को कृपया सादर सूचनार्थ।
3. संबंधित पुलिस महानिरीक्षक/उप–महानिरीक्षक, को कृपया सादर सूचनार्थ।
4. संबंधित प्रशिक्षु पु0अ0नि0 को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से सूचनार्थ।

20/10/21

सहायक निदेशक(प्रशासन),
बिहार पुलिस अकादमी, राजगीर।